रजिस्ट्री सं० डी०-221 REGISTERED No. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2—अनुभाग 3क
PART II—SECTION 3A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुधवार, 3 जुलाई, 1996/12 आषाढ़, 1918 (शक) [खण्ड XXVII
No. 1] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 1996/ASADHA 12, 1918, (SAKA) [Vol. XXVII

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
राजभाषा खण्ड
नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1996/12 आषाढ़, 1918 (शक)

केन्टोनमेंट प्रापर्टी रुल्स, 1925 का हिंदी अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)
OFFICIAL LANGUAGES WING
New Delhi, July 3, 1996/*Asadha* 12, 1918 (*Saka*)

The translations in Hindi of the Cantonment Property Rules, 1925 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

छावनी संपत्ति नियम, 1925

[25 अगस्त, 1995 को यथाविद्यमान]

सपरिषद् गवर्नर जनरल, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी संपत्ति नियम, 1925 है।

(2) इसका विस्तार सभी छावनियों पर है।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो :—

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 1924 अभिप्रेत है;

(ख) "स्थावर संपत्ति" में भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे और भूबद्ध वस्तुएं या भूबद्ध वस्तुओं से स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं सम्मिलित हैं किंतु इसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसल या घास सम्मिलित नहीं हैं;

(ग) "जंगम संपत्ति" में, खड़ा काष्ठ, उगती फसल या घास, पेड़ के फल और उसमें का रस, छाल, लाख और सभी अन्य प्रकार की संपत्ति सम्मिलित है किंतु इसमें स्थावर संपत्ति सम्मिलित नहीं है ।

3. **छावनी संपत्ति का रजिस्टर**—उन स्थावर संपत्तियों का जो छावनी बोर्ड में निहित हैं या उसकी है, रजिस्टर छावनी लेखा कोड, 1924 के नियम 70 और 71 द्वारा विहित प्ररूप में छावनी बोर्ड द्वारा बनाए रखा जाएगा और छावनी बोर्ड की सभी धृतियों में परिवर्धन या परिवर्तन को उसमें अभिलिखित किया जाएगा ।

4. **केन्द्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए हिज मैजेस्टी में निहित भूमि से भिन्न भूमि का क्रय या पट्टा**—अधिनियम की धारा 109 और धारा 110 के उपबंधों के अधीन रहते हुए छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए हिज मैजेस्टी में निहित संपत्ति से भिन्न किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का क्रय कर सकेगा या पट्टे पर ले सकेगा जो किसी छावनी के प्रशासन से संबंधित किसी अव्यवहित और निश्चित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो परन्तु छावनी बोर्ड, कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की मंजूरी के सिवाय, छावनी की सीमाओं के भीतर किसी ऐसी सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा ।

5. **भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि अर्जन के लिए आवेदन**—छावनी बोर्ड, अधिनियम की धारा 110 के अधीन, भूमि के अर्जन के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन में अर्जन किए जाने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताएगा और संदाय किए जाने वाले प्रतिकर और प्रेषित किए जाने वाले राजस्व का, यदि कोई हों, प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा । छावनी बोर्ड यह भी प्रमाणित करेगा कि निजी संविदा द्वारा अर्जन असाध्य या विशेष कारणों से अवांछनीय पाया गया है ।

6. **केन्द्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए हिज मैजेस्टी में निहित भूमि का छावनी बोर्ड को अंतरण**—जब छावनी में की किसी ऐसी भूमि की, जो केन्द्रीय सरकार के किसी प्रयोजन के लिए हिज मैजेस्टी में निहित है, छावनी के प्रशासन से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए छावनी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तब छावनी बोर्ड, उन कारणों को बताते हुए कि वह क्यों अपेक्षित है और वह प्रयोजन दर्शाते हुए जिसके लिए वह अपेक्षित है, भूमि की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेगा । यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए तब वह ऐसी शर्तों के अधीन जो वह ठीक समझे, भूमि को छावनी बोर्ड को अंतरित कर सकेगी:

परन्तु यह कि :—

(क) यदि ऐसी भूमि जिसके लिए आवेदन किया गया है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए पहले से ही अधिभोग में, तब ऐसी भूमि का छावनी बोर्ड को अंतरण, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 के नियम 9 के उपबंधों के द्वारा शासित होगा,

(ख) यदि भूमि ऐसे उद्देश्य के लिए अपेक्षित है, जिससे छावनी बोर्ड को, किसी प्रकार की आय व्युत्पन्न होगी, तब ऐसी भूमि ऐसी रीति में की गई अदायगी पर जो केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक मामले में साम्योचित समझे, अंतरित की जा सकेगी,

(ग) यदि किसी भी समय भूमि का उपयोग ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए वह छावनी बोर्ड को मंजूर की गई है, या केन्द्रीय सरकार की राय में किन्हीं अन्य शर्तों के भंग होने पर, जिन पर भूमि छावनी बोर्ड को अंतरित की गई थी, या ऐसी भूमि साधारण लोकहित में अपेक्षित है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसी भूमि पर फिर से कब्जा कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार से फिर कब्जा की गई किसी भूमि के संबंध में छावनी बोर्ड को संदेय प्रतिकर की रकम का विनिश्चय प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और ऐसी रकम, किन्हीं भी परिस्थितियों में उस भूमि के अंतरण के लिए छावनी बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदत्त रकम, यदि कोई हो, के से

उस पर निर्मित भवन, यदि कोई हो, की प्रारंभिक लागत या वर्तमान मूल्य से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी ।

7. **बोर्ड द्वारा स्थावर संपत्ति का अंतरण**—ऐसी स्थावर संपत्ति को, जो छावनी बोर्ड में निहित है और उसकी है, छावनी बोर्ड, किसी व्यक्ति को बिना प्रीमियम के पट्टे से भिन्न विक्रय, बंधक या विनिमय द्वारा या अन्यथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे, अंतरित नहीं करेगा:

परन्तु यदि स्थावर संपत्ति छावनी की सीमाओं से बाहर अवस्थित है, तो राज्य सरकार के विचार जों कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित किए जाएंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी मंजूरी देने से पूर्व, विचार में लिए जाएंगे ।

8. **छावनी बोर्ड द्वारा पट्टा**—लोक बाजार और वधशाला की बाबत अधिनियम की धारा 200 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह स्थावर संपत्ति जो छावनी बोर्ड में निहित है और उसकी है, छावनी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रीमियम के बिना पट्टे पर दी जा सकेगी :—

(1) पट्टे की संपूर्ण अवधि के दौरान एक युक्तियुक्त भाटक आरक्षित हो और संदेय हो;

(2) पट्टा या पट्टे के लिए किया गया करार, छावनी बोर्ड की साधारण बैठक में किए गए संकल्प द्वारा उसकी पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अवधि के लिए या कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी किसी अवधि के लिए जो पाँच वर्ष से अधिक है और तीस वर्ष से अधिक नहीं है या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी अवधि के लिए जो तीस वर्ष से अधिक है, नहीं किया जा सकता;

(3) ऐसे प्रयोजन के लिए पट्टा जिसके लिए छावनी बोर्ड अधिनियम की धारा 109 के अधीन स्वयं आवेदन नहीं कर सकता था, संपत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी;

(4) प्रत्येक पट्टे पर, वे शर्तें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जिस प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई संपत्ति का पट्टेदार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा और उसमें छावनी बोर्ड को इस बात के लिए शक्ति प्रदान करने वाला खंड होगा कि छावनी बोर्ड की सहमति के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए संपत्ति का उपयोग किए जाने की दशा में वह पट्टे को निराकृत कर दे;

(5) छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, खंड (4) के अनुसरण में इसकी सहमति नहीं देगी यदि ऐसी सहमति, पट्टे पर दी गई संपत्ति के ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु चाही गई है जिसके लिए स्वयं छावनी बोर्ड भी इस अधिनियम की धारा 109 के अधीन सम्पत्ति का उपयोजन नहीं करता;

(6) जहां पट्टेदार, पट्टे की शर्तों के उल्लंघन में और छावनी बोर्ड के सहमति के बिना पट्टे पर दी गई सम्पत्ति का किसी प्रयोजन के लिए ऐसा उपयोग करता है जिसके लिए स्वयं छावनी बोर्ड भी अधिनियम की धारा 109 के अधीन उस सम्पत्ति का उपयोजन नहीं कर सकता तो छावनी बोर्ड, ऐसे उपयोग के तथ्य की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को तुरंत देगा और यदि केन्द्रीय सरकार यह अपेक्षा करती है तो वह पट्टे के अधीन उसे निराकृत करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा;

(7) ऐसी स्थावर संपत्ति के पट्टे के लिए जो पथ है या जिसमें किसी पथ का भाग सम्मिलित है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी ।

9. **हिज मैजेस्टी को स्थावर संपत्ति अंतरण करने की शक्ति**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छावनी बोर्ड किसी स्थावर सम्पत्ति को जो इस अधिनियम की धारा 108 के अधीन उसमें निहित है और उसकी है, केन्द्रीय सरकार की सहमति से हिज मैजेस्टी को अंतरित कर सकेगा किन्तु इस प्रकार नहीं कि किसी न्यास या लोक अधिकारों पर प्रभाव पड़े जिसके अध्यधीन वह सम्पत्ति धारित है ।

10. **स्थावर सम्पत्ति अर्जित और अंतरित करने की शक्ति**—इस अधिनियम की धारा 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए छावनी बोर्ड, किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति को अर्जित कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और किसी ऐसी जंगम संपत्ति को जो छावनी बोर्ड में निहित है या उसकी है, किसी रीति में या किन्हीं ऐसे निबंधनों पर अंतरित कर सकेगा जो वह साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा समीचीन और युक्तिसंगत अवधारित करें ।

11. **स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 के उपबंधों की व्यावृत्ति**—इन नियमों के किसी बात का स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसके अधीन, उन बातों के सिवाय जो उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित है, छावनी बोर्ड किसी प्रयोजन के लिए अपनी निधियों पर न तो उधार ले सकेगा या उसे अन्यथा प्रभावित ही कर सकेगा ।

12. **सैनिक संपदा अधिकारी द्वारा प्रवेश, निरीक्षण**—छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 के नियम 2 के खंड (ग) के अधीन नियुक्त सैनिक संपदा अधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सहायकों या कर्मकारों के साथ या उसके बिना छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 की धारा 108 के अधीन छावनी बोर्ड में निहित किसी भवन में या भूमि पर कोई ऐसी जांच, निरीक्षण, माप, मूल्यांकन या सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा, जो ऐसे अधिकारी या व्यक्ति आवश्यक समझें या किसी ऐसे संकर्म के परीक्षण या निरीक्षण के लिए आवश्यक समझें जो ऐसा भवन या भूमि पर निष्पादित हुआ है या होता रहा है या जिसे निष्पादित किया जाना है ।

उपरोक्त कर्तव्य के पालन में, ऐसा अधिकारी या व्यक्ति उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अध्याय 15 में प्रवेश और निरीक्षण के लिए यथाउपबंधित है ।

13. निरसन—भारत के किसी भाग में प्रवृत्त इन नियमों के तत्समान नियम, इसके द्वारा विखंडित किए जाते हैं : परन्तु यह कि ऐसे नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इन नियमों के तत्समान उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

प्रकाश चन्द्र,
उप विधायी परामर्शी,
भारत सरकार ।

महाप्रबंधक—मा०स०म०ना०—वि०1—55 गॅजेट ऑफ इण्डिया/एन०डी०/96—12-9-96—0,75.

क्र० सं०	छावनी बोर्ड का नाम	पश्चिमी कमान में छावनी बोर्डों के अधीन पर्यवेक्षीय पद के रूप में घोषित पद
6.	कसौली	कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार, कर निरीक्षक, ओवरसियर, आर०एम०ओ०, प्रधानाध्यापिका।
7.	सुबाथु	कार्यालय अधीक्षक-सह-लेखाकार, आर०एम०ओ०, सफाई निरीक्षक।
8.	दगशाई	कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार, आर०एम०ओ०, ओवरसियर, सफाई निरीक्षक।
9.	जुतोघ	कार्यालय अधीक्षक श्रेणी-II-सह-लेखाकार, सफाई निरीक्षक, आर० एम० ओ०, प्रधानाध्यापिका/प्रधानाध्यापक।

क्र० सं०	छावनी बोर्ड का नाम	उत्तरी कमान में छावनी बोर्डों के अधीन पर्यवेक्षीय पद के रूप में घोषित पद
1.	बदामीबाग	कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार, सहायक इंजीनियर, सफाई निरीक्षक, आर० एम० ओ०।
2.	बकलोह	कार्यालय अधीक्षक, आर०एम०ओ०, सफाई निरीक्षक, प्रधानाध्यापक।
3.	जम्मू	कार्यालय अधीक्षक, अभिलेख-अधीक्षक-सह-लेखाकार, ओवरसियर, सफाई निरीक्षक, डिस्पेन्सरी का आर०एम०ओ०।
4.	डलहौजी	कार्यालय अधीक्षक, सहायक इंजीनियर, आर०एम०ओ०, प्रधानाध्यापक, सफाई निरीक्षक।
5.	खतयोल	लेखाकार, कर/चुंगी निरीक्षक, ओवरसियर, सफाई निरीक्षक, आर०एम०ओ०, प्रधानाध्यापक, कार्यालय अधीक्षक।

संतोष कुमार,
सहायक विधायी परामर्शी

प्रभासमुना—दि4—88 गैजेट ऑफ इंडिया (एन० डी०)/98—20-1-2000—75